

EXECUTIVE SUMMARY

Under the Department of Urban Local Bodies, Corruption cases have not increased under jurisdiction of Municipal Council, Rewari during the last nine years. As per the directions of Hon'ble CM, the policy of zero tolerance against corruption is being pursued vigorously by the Department of Urban Local Bodies. Inquiries and investigations are being conducted proactively to fix the responsibility. Requisite follow-up action, as deemed fit, is being taken as per Service Rules and Civil and Criminal law to take the matter to its logical conclusion. As per the report of Municipal Council, Rewari, only one case was registered by Anti-Corruption Bureau, Gurugram vide FIR No 005 dated 29.03.2022 against its officials during the last 8 years.

NOTE FOR THE PAD

Under the Department of Urban Local Bodies, Corruption cases have not increased under jurisdiction of Municipal Council Rewari during the last nine years. As per the directions of Hon'ble CM, the policy of zero tolerance against corruption is being pursued by the Department of Urban Local Bodies. Inquiries and investigations are being conducted proactively to fix the responsibility of the erring officials. Requisite follow-up action, as deemed fit, is being taken as per Service Rules and Civil and Criminal law to take the matter to its logical conclusion. As per the report of Municipal Council, Rewari, only one case was registered by Anti-Corruption Bureau, Gurugram vide FIR No. 005 dated 29.03.2022 against its officials during the last 8 years.

To address the corruption cases in the correct perspective at Municipalities, the Department of Urban Local Bodies had taken proactive measures to create institutional mechanism in terms of SOPs and utilization of IT to encourage interaction between the public and officials of local bodies for faster redressal of complaints and grievances. Helplines numbers-1800-180-2022/1064 have been displayed prominently at all Municipalities in the state to enable complaints/grievances lodging, if required, for the convenience of the Public.

The Department of Urban Local Bodies vide office letter No. 234 dated 08.02.2023 had appointed Vigilance Officers in the field offices to look into and dispose of the complaints quickly lying at the different Municipalities. The Department also intervenes, wherever required, to expedite fast disposal of complaints. Further, Flying Squad Officers from the field units are also activated to visit adjacent municipalities to check the Advertisement(s) and illegal Construction(s) including specific complaints received by the Vigilance Branch of the Directorate. The

year wise data of FIR cases registered at different Municipalities in the state is as given below:-

Sr. No.	Year	No. of FIR cases registered	Total
1.	2014	03	03
2.	2015	06	09
3.	2016	08	17
4.	2017	08	25
5.	2018	04	29
6.	2019	10	39
7.	2020	07	46
8.	2021	07	53
9.	2022	21	74

The year wise progressive increase in the No. of FIR cases registered clearly brings out that corrupt officials are being proceeded against vigorously since 2014.

To further show its intent of zero tolerance towards corruption, the Government vide Chief Secretary, Govt to Haryana, Vigilance Branch letter No 04/04/2017-6V1 dated 15.11.2023, had appointed both serving and retired officers with good track record and integrity as independent Chief Vigilance Officers for various Govt Departments of the Haryana including Department of Urban Local Bodies. The said CVO has already assumed charge and it is expected that war against corruption will get a fillip in the times to come.

कार्यकारी सारांश

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत नगर परिषद, रेवाडी के अधिकार क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के मामले नहीं बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जिम्मेदारी तय करने के लिए सक्रिय रूप से पूछताछ और जांच की जा रही है। मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए सेवा नियमों और नागरिक एवं आपराधिक कानून के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद, रेवाडी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 8 वर्षों के दौरान उसके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा एफ0आई0आर संख्या 005 दिनांक 29.03.2022 के तहत केवल एक मामला दर्ज किया गया था।

नोट फोर पैड

*45 श्री. चिरंजीव राव (रेवाड़ी)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत नगर परिषद रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के मामले नहीं बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए सक्रिय रूप से पूछताछ और जांच की जा रही है। मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए सेवा नियमों और नागरिक एवं आपराधिक कानून के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद रेवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 8 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा नगर परिषद रेवाड़ी के अधिकारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 संख्या. 005 दिनांक 29.03.2022 के तहत केवल एक मामला दर्ज किया गया था।

नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार के मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में संबोधित करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए जनता और स्थानीय निकायों के अधिकारियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए एस0ओ0पी और आई0टी के उपयोग के संदर्भ में संस्थागत तंत्र बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और शिकायतें जनता की सुविधा के लिए, यदि आवश्यक हो तो शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य के सभी नगर पालिकाओं में हेल्पलाइन नंबर-1800-180-2022/1064 प्रमुखता से प्रदर्शित किये गये हैं।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कार्यालय पत्र संख्या 234 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से विभिन्न नगर पालिकाओं में पड़ी शिकायतों को देखने और शीघ्रता से निपटाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किये गये हैं। शिकायतों के त्वरित निपटान में तेजी लाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, विभाग हस्तक्षेप भी करता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय इकाइयों के फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारियों को भी निदेशालय की सतर्कता शाखा द्वारा प्राप्त विशिष्ट शिकायतों सहित विज्ञापनों

और अवैध निर्माणों की जांच करने के लिए निकटवर्ती नगर पालिकाओं का दौरा करने के लिए सक्रिय किया गया है। राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं में दर्ज एफ0आई0आर मामलों का वर्षवार विवरण तालिका अनुसार है:—

क्रमांक	वर्ष	एफ0आई0आर मामलों की संख्या	कुल
1.	2014	03	03
2.	2015	06	09
3.	2016	08	17
4.	2017	08	25
5.	2018	04	29
6.	2019	10	39
7.	2020	07	46
8.	2021	07	53
9.	2022	21	74

एफ0आई0आर मामलों की संख्या में वर्षवार प्रगतिशील वृद्धि से स्पष्ट है कि 2014 से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने इरादे को दिखाने के लिए, सरकार ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सतर्कता शाखा पत्र संख्या 04/04/2017-6वी1 दिनांक 15.11.2023 के माध्यम से अच्छी उपलब्धियों और ईमानदारी छवि वाले सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के अधिकारियों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग सहित हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए स्वतंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं। उक्त सी0वी0ओ ने पहले ही पदभार ग्रहण कर लिया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को गति मिलेगी।